अनुसूची-दो

[नियम-5 देखें]

प्रकाष्ठ/वृक्ष से कोयला बनाने वाली कोयला भट्ठियों की स्थापना परिनिर्माण और प्रचालन हेतु अनुज्ञा का प्रारूप

श्री/श्रीमती/कु0/मै0.....

पुत्र/पत्नी/पुत्री.....

निवासी..... (पूरा पता) जिसे अनुज्ञापी कहा जायेगा को..... (स्थल का विवरण जहा भट्ठी/भट्ठियां स्थापित/प्रचालित की जाती है)..... इकाई कोयला भट्ठी, प्रकाष्ठ से जलाकर कोयला बनाने हेतु, उत्तर प्रदेश कोयला भट्ठी स्थापना एवं विनियमन नियमावली, 2010 के उपबन्धों (जिसे आगे नियमावली कहा जायेगा) एवं सभी वन अधिनियम तथा अन्य नियमावलियां जो उत्तर प्रदेश में समय-समय पर लागू एवं संशोधित की जाये, के अनुसार निम्न शर्तों पर अनुज्ञा निर्गत की जाती है :–

1–यह अनुज्ञा.....से.....तक की अवधि तक वैध रहेगी।

2–अनुज्ञापी बिना अधोहस्ताक्षरी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये कोयला भट्ठी के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं कर सकेगा।

3–अनुज्ञापी ऐसी पंजी और अभिलेख जैसा अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किये जाये, अनुरक्षित रखेंगे, तथा उन्हें वनाधिकारी के मांगे जाने पर या पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक श्रेणी से कम न हो, अथवा मजिस्ट्रेट को जांच के लिये उपलब्ध करायेगा।

4–अनुज्ञापी समुचित करेगा कि–

(एक) भट्ठी स्थल पर अग्नि/दुर्घटना/पर्यावर्णीय आपदा से निपटने के पर्याप्त और आवश्यक साधन हो।

(दो) समस्त प्रकाष्ठ व कोयला अधोहस्ताक्षरी अथवा उनके द्वारा उनकी ओर से प्राधिकृत स्टाफ द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप भण्डारित किया जाय।

(तीन) कोयला उत्पादन हेतु प्रकाष्ठ/पेड़ स्थल पर तब तक अभिस्वीकार/रखा नहीं जायेगा जब तक उस पर वन विभाग का घन मार्क/उसके मालिक का सम्पत्ति चिन्ह न अंकित हो और जब तक वन अभिवहन पास और/अथवा अन्य दस्तावेजी साक्ष्य अंकित न हो।

(चार) प्रकाष्ठ/पेड़ जो उपरोक्त धारा-4 (तीन) की अपेक्षाओं की पुष्टि नहीं करते हैं, कोयला उत्पादन हेतु स्वीकार नहीं किया जायेगा और ऐसे प्रकाष्ठ/पेड़ों की सूचना तदनुसार नजदीकी प्रभाग/उप प्रभाग/वन रेंज/वन रक्षक चौकी को दी जायेगी।

(पांच) परिसर जिसमें कोयला भट्ठी/भट्ठियां स्थापित है/हैं में कोयला उत्पादन के प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य कोई प्रकाष्ठ संबंधी व्यवसाय या कोई अन्य वन उत्पाद अथवा उनके भण्डारण संबंधी व्यवसाय नहीं किया जा सकेगा।

(छः) भट्ठी/भट्ठियों और प्रकाष्ठ अथवा कोयला परिसर में किसी भी समय कोई भी वनाधिकारी या पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक से न्यून स्तर का न हो अथवा कोई मजिस्ट्रेट निरीक्षण कर सकेगा।

(सात) उपरोक्त (छः) में उल्लिखित प्राधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर सभी संबंधित अभिलेख/रजिस्टर और लाइसेन्स निरीक्षण पर प्रस्तुत किये जायेंगे।

(आठ) इस प्रकार निर्मित कोयले का परिवहन उत्तर प्रदेश प्रकाष्ठ एवं अन्य वन उपज अभिवहन नियमावली, 1978 के उपबन्धों में विनिर्दिष्ट के अनुसार सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।

(नौ) यह अनुज्ञा अधोहस्ताक्षरी को पूर्व सूचना और उसके अनुमोदन के अद्यधीन अन्तरणीय है। ऐसे मामले में अन्तरण पाने वाला व्यक्ति उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिये लाइसेन्स धारित करेगा।

दिनांक :

प्रभागीय वन अधिकारी के हस्ताक्षर,

मोहर।